प्रथम सूचना रिपोर्ट

{ अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया सहित}

1. जिला–भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, सिरोही, थानाः–एसीबी सीपीएस जयपुर, वर्ष 2022 प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 195/22 दिनांक 20/5/2022
2. (1) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018, धारा 7
   (2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायेः– 120–बी
   (3) अधिनियम .....–..... धाराये :–.....–.....
   (4) अन्य अधिनियम व धारायें :– .....–.....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 405 समय 4.16 P.M.
   (ब) अपराध के घटने का दिन :–गुरूवार, दिनांक 19.05.2022, समय 05:30 पी.एम.,
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :– 18.05.2022 समय 06:00 पी0एम0,
4. सूचना की किस्म :– कम्पयुटराईज्ड टाईप सुदा,
5. घटनास्थल :–
   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–चौकी से बदिश उत्तर–पश्चिम बफासला करीब 80 कि.मी. दूर।
   (ब) पता :– लेटा रैल्वे फाटक के पास जालोर,
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :– नहीं
6. परिवादी/सूचनाकर्त्ता :–
   1. श्री राजेन्द्रकुमार पुत्र श्री धनराज, जाति जैन, उम्र 43 वर्ष, पैशा व्यवसाय, निवासी हवाला गली सुमेरपुर, जिला पाली, हाल प्रोपराईटर भैरव मशीन टूल्स महावीर कॉम्पलेक्स, शॉप नं. 52 मैन बाजार सुमेरपुर, जिला पाली ।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–
   1. श्री भास्कर चौधरी पुत्र श्री मांगेराम, जाति जाट–चौधरी, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम सांगरोद, तहसील खेड़का, जिला बागपत, उत्तरप्रदेश, हाल क्षेत्रीय वन अधिकारी–II, वन बन्दोबस्त शाखा जालोर, अतिरिक्त चार्ज सहायक वन संरक्षक (ए.सी.एफ.) जालोर।
   2. श्री महिपालसिंह पुत्र श्री शंभूसिंह, जाति राजपूत, उम्र 34 वर्ष, निवासी आशापूर्णा कॉलोनी जालोर, हाल वनरक्षक, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, जालोर।
   3. श्री जितेन्द्रकुमार उर्फ विराट पुत्र श्री दलपतराम, जाति जीनगर, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम निम्बला, तहसील आहोर, जिला जालोर, हाल हाल वनरक्षक, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, जालोर ।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कोई नहीं।
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–.....
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य ट्रेप राशि 10,000/–रू0,
11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो).....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट .....

श्रीमान एडिशनल एस.पी. साहब

Scanned By Scanner Go

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
सिरोही–राजस्थान,

विषय :– वन विभाग जालोर के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा रिश्वत मांगने व प्राप्त करने के संबध में कानूनी कार्यवाही कराने बाबत्।

मान्यवरजी,

अरज एक प्रार्थी श्री राजेन्द्रकुमार पुत्र श्री धनराज, जाति जैन, उम्र 43 वर्ष, निवासी हवाला गली सुमेरपुर, जिला पाली, हाल प्रोपराईटर भैरव मशीन टूल्स महावीर कॉम्पलेक्स, शॉप नं. 52 मैन बाजार सुमेरपुर, जिला पाली की अरज यह हैं कि मेरी फर्म भैरव मशीन टूल्स महावीर कॉम्पलेक्स, शॉप नं. 52 मैन बाजार सुमेरपुर के माध्यम से मैं साल कोयला के कय–विकय का काम करता हूं। उक्त फर्म के माध्यम से मैं जालोर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से कोयला कय कर भिवाड़ी–अलवर व जयपुर की तरफ विकय हेतु लोडिंग ट्रकों से भेजता हूं। महिने में लगभग 3–4 गाडी माल यहां से भेजता हूं। कल दिनांक 17.05.2022 को जालोर के भागली प्याऊ टोल नाके पर मेरी कोयला से भरी हुई एक गाड़ी श्री महिपालसिंह वनरक्षक, श्री भास्कर चौधरी एंव श्री विराट चौहान, वन विभाग भीनमाल बाईपास चौकी जालोर ने रोककर मेरी गाड़ी के ड्राईवर से गाडी के कागजात ले लिये, तथा मेरी गाडी वन विभाग चौकी जालोर के पास खडी करवाकर मेरी गाड़ी के ड्राईवर मुझे फोन करवाकर एक–डेढ घण्टे में वन विभाग चौकी जालोर पर बुलाया, तब मैं उसी समय जस्ट मेरे घर से वन विभाग चौकी जालोर गया व मेरी गाडी छोड़ने का कहा तो श्री महिपालसिंह फोरेस्ट गार्ड, विराट फोरेस्ट गार्ड व श्री भास्कर रेन्जर ने मेरी गाड़ी छोड़ने के बदले फर्स्ट में मेरे से दो लाख रू. की मांग की, तो मैंने इतने रूपये मेरे पास नहीं होने का कहा तो उन लोगों ने लास्ट में 50,000 रू. से कम किसी भी हालत में नहीं लेने की बात मेरे से कही तब मैंने उस टाईम मेरे पास उपलब्ध 40,000 रू. मैंने श्री भास्कर चौधरी व श्री विराट के कहने पर श्री महिपालसिंह को उसी समय दे दिए एंव शेष 10,000 रू. एक–दो दिनों में देने का कहा तब उन तीनों ने मेरे द्वारा दिए गए रूपयों को बारी–बारी से गिने व चौकी के अन्दर रखकर वापस बाहर आये व मुझे कहा कि आप लोग पुलिस वालों से सेटिंग रखते हो, उससे आपका काम नहीं चलेगा, यहां धन्धा करना हैं तो हमसे भी सेटिंग रखनी पड़ेगी तथा हमें भी मन्थली देनी पड़ेगी। तब मैंने उन्हें कहा कि एक–दो दिनों में बकाया 10,000 रू. पंहुचाने आऊंगा, तब आपके मन्थली की बात भी आप लोगों से तय कर लेगें। मैं श्री महिपालसिंह, विराट चौहान ओर श्री भास्कर रैन्जर साहब को बकाया रिश्वत के 10,000 रू. एंव मन्थली नहीं देना चाहता हूं। मैं वन विभाग जालोर इन तीनों को ही रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरी इन लोगों से कोई रंजिश नहीं हैं तथा न ही कोई रूपये–पैसों की लेनदेन बकाया हैं। अतः रिपोर्ट कानूनी कार्यवाही हेतु पेश हैं।

दिनांक–18./05/.2022

प्राथी
––एस.डी.––
श्री राजेन्द्रकुमार पुत्र श्री धनराज, जाति जैन, निवासी हवाला गली सुमेरपुर, जिला पाली, मोबाईल. 9462764923 व 7014936297

एस.डी. गवाह श्री अमृतलाल कनिष्ठ सहायक

एस.डी. गवाह श्री नाथूराम वरिष्ठ सहायक

कार्यवाही पुलिस

निवेदन हैं कि उपरोक्त लिखित रिपोर्ट दिनांक 18.05.2022 वक्त 06:00 पी.एम. पर प्रार्थी श्री राजेन्द्रकुमार पुत्र श्री धनराज, जाति जैन, उम्र 43 वर्ष, पैशा व्यवसाय, निवासी हवाला गली सुमेरपुर, जिला पाली, हाल प्रोपराईटर भैरव मशीन टूल्स महावीर कॉम्पलेक्स,

Scanned By Scanner Go

शॉप नं. 52 मैन बाजार सुमेरपुर, जिला पाली ने ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर उपस्थित होकर मन् ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही के समक्ष एक कम्पयुटराईज्ड (टाईप सुदा) रिपोर्ट मय अपने आधार कार्ड की स्व–प्रमाणित प्रति के पेश की। जिसका अवलोकन कर रिपोर्ट में उल्लेखित तथ्यों के बारे में परिवादी से पूछताछ की गई तो परिवादी ने बताया कि मैं मेरी उपरोक्त फर्म के माध्यम से साल कोयला के कय–विकय हेतु अधिकृत हूं, उक्त फर्म के माध्यम से मैं जालोर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से कोयला कय कर भिवाड़ी–अलवर व जयपुर की तरफ विकय हेतु लोडिंग ट्रकों से भेजता हूं। महिने में लगभग 3–4 गाडी माल यहां से भेजता हूं। कल दिनांक 17.05.2022 को जालोर के भागली प्याऊ टोल नाके पर मेरी कोयला से भरी हुई एक गाड़ी श्री महिपालसिंह वनरक्षक, श्री भास्कर चौधरी एंव श्री जितेन्द्रकुमार उर्फ विराट चौहान फोरेस्ट गॉर्ड, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, रैन्ज जालोर ने रोककर गाडी चालक से कागजात ले लिये, तथा मेरी गाडी वन विभाग की चौकी के साईड में एक तरफ खडी करवाकर मेरे ड्राईवर के माध्यम से मोबाईल कॉल करवाकर मुझे एक से डेढ घण्टे के अन्दर–अन्दर वन विभाग चौकी जालोर पर बुलाया, जिस पर मैं सुमेरपुर से मेरे स्वयं की निजी गाडी लेकर उसी समय जालोर गया, जहां वन विभाग की चौकी के एक साईड में मेरी गाडी खडी थी, मैंने मेरी उक्त गाडी छोडने का इनसे निवेदन किया तो उक्त तीनों ने मेरी गाड़ी छोड़ने की ऐवज में पहले मेरे से 2.00 लाख रू. की मांग की, इतने अधिक रूपये देने में मैंने असमर्थता जाहिर की तो इन्होनें लास्ट में 50,000 रू. से कम किसी भी हालत में नहीं लेने की बात की, जिस पर उस समय मेरे पास उपलब्ध 40,000 रू. मैंने श्री भास्कर चौधरी व श्री जितेन्द्र उर्फ विराट के कहने पर श्री महिपालसिंह वन रक्षक को उसी समय दे दिए एंव शेष 10,000 रू. एक–दो दिनों पंहुचाने का वादा किया, जिस पर मेरे द्वारा दी गई राशि इन तीनों ने बारी–बारी से गिनी व मुझे कहा कि केवल पुलिस की सेटिंग से काम नहीं चलेगा, हमारे एरिया में धन्धा करना हैं तो हमें भी मासिक बन्धी देनी पडेगी, जिस पर मैंने उन्हें कहा एक–दो दिनों में बकाया 10,000 रू. पंहुचाने आऊंगा, तब मन्थली की बात भी तय कर लेगें। वहां जाने से पूर्व मुझे श्री महिपालसिंह वनरक्षक के अलावा अन्य दोनों के नाम व पद के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जिस पर मैंने इन दोनों के नाम, पदनाम के बारे में इनसे पूछा तो उन में से एक ने अपना नाम श्री भास्कर चौधरी रेन्जर व दूसरे ने अपना नाम श्री जितेन्द्र उर्फ विराट फोरेस्ट गॉर्ड होना बताया था। मैं उक्त श्री महिपालसिंह फोरेस्ट गॉर्ड एंव श्री भास्कर चौधरी रेन्जर व विराट फॉरेस्ट गॉर्ड को शेष रिश्वती राशि 10,000 रू. एंव मासिक बन्धी आदि नहीं देना चाहता हूं, मैं उन्हें रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं। मेरी उन लोगों से कोई आपसी रंजिश व लेन–देन बकाया नहीं हैं। वगैरहा रिपोर्ट एंव तथ्यों के संबध में परिवादी ने समस्त तथ्य सही होना एंव रिपोर्ट सुमेरपुर में अपने एक विश्वस्त परिचित से टाईप करवाकर इस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार जैन की रिपोर्ट में उल्लेखित तथ्यों व तकरीरन दरियाफ्त से मामला लोक सेवकगण द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम–2018 की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया जाकर कार्यालय के श्री रमेशकुमार कानि. नं. 119 को कार्यालय कक्ष में तलब कर इनका परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार जैन से परस्पर परिचय करवाकर इनके मोबाईल नंबरों का परस्पर आदान–प्रदान करवाया गया। कार्यालय हाजा की अलमारी से डिजीटल टेप रिकॉर्डर निकालकर परिवादी व श्री रमेशकुमार कानि. को सुपुर्द कर ऑपरेट करने बाबत् समझाईश की जाकर श्री रमेशकुमार कानि. को परिवादी के साथ जालोर जाकर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार जैन ने बताया कि आज जालोर पंहुचेगें तब तक रात्रि हो जायेगी, रात्रि में वे लोग मेरे से कोई बातचीत नहीं करेगें, इसलिए मैं कल इनसे वार्ता करने जाऊंगा, जिस पर श्री रमेशकुमार कानि. को दूसरे दिन दिनांक 19.05.2022 को प्रातः जालोर पंहुच परिवादी से सम्पर्क कर मांग सत्यापन कार्यवाही करवाने बाबत् निर्देशित किया

Scanned By Scanner Go

गया। परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार जैन को उपरोक्तानुसार नियत समय पर जालोर में श्री रमेशकुमार कानि. से मिलकर सत्यापन कार्यवाही करवाने व प्रकरण में पूर्ण गोपनीयता बरतने की हिदायत कर गन्तव्य को रूखसत दी गई।

दिनांक 19.05.2022 को प्रातः परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार जैन की रिपोर्ट पर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर निकालकर उक्त वॉईस रिकॉर्डर श्री रमेशकुमार कानि. को सुपुर्द कर बमुकाम जालोर में परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार जैन से सम्पर्क कर उनके माध्यम से रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाने बाबत् मुनासिब हिदायत दी जाकर उक्त को मय डिजीटल टेप रिकॉर्डर के रवाना जालोर की तरफ किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री चेलाराम हैड कानि. 109, श्री सोहनराम कानि. 361 जरिये सरकारी वाहन बोलेरो एंव चालक श्री गणेशलाल के प्रकरण सं. 157/2022 विरूद्ध श्री भगवानाराम वार्ड पंच, ग्राम पंचायत माण्डवला, पं.सं. सायला, जिला जालोर में उस दिन आरोपी श्री भगवानाराम वार्ड पंच की नमूना आवाज कार्यवाही श्रीमान जे. एम. कोर्ट जालोर में मुकर्रर होने से मय उक्त प्रकरण की अनुसंधान पत्रावली के रवाना जे.एम. न्यायालय जालोर की तरफ हुआ। इस बाबत् श्री रमेशकुमार कानि. को पृथक से निर्देशित किया गया कि बाद सत्यापन कार्यवाही जैसी भी सूरत हो, मन् अतिरिक्त अधीक्षक कैम्प जालोर को इस बाबत् जरिये मोबाईल अवगत करावें। परिवादी की रिपोर्ट मय रनिंग नोट इत्यादि हमराह लिये जाकर कार्यालय स्टाफ को अग्रिम निर्देशों के इन्तजार में अलर्ट/स्टेन टू रहने की हिदायत की गई। दोपहर के वक्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान बमुकाम जालोर में न्यायालय कार्य से फॉरिक हुए कि उसी समय श्री रमेशकुमार कानि. 119 ने जरिये मोबाईल मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया कि परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार जैन ने आरोपित श्री महिपालसिंह वनरक्षक व श्री भास्कर चौधरी रैन्जर से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप कर ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग कर ली हैं। श्री भास्कर चौधरी व श्री महिपालसिंह अभी कुछ देर पहले जालोर शहर में आहोर चौराहा पर परिवादी को मिले एंव बकाया 10,000 रू. की मांग कर आगे से प्रति माह प्रति गाड़ी 10,000 रू. की मन्थली बन्धी तय की, जिस पर परिवादी ने बकाया 10,000 रू. आज सांय तक श्री महिपालसिंह को देने व इस राशि में अगले माह की 15 तारीख तक चलाने व इससे आगे प्रति गाड़ी प्रति माह 10,000 रू. की दर से परिवादी की तीन गाड़ियों की इन्हें मासिक बन्ध देना तय करने की बात होना परिवादी द्वारा मुझे बताई गई हैं। जिस पर श्री रमेशकुमार कानि. को मय परिवादी के गोपनीयता की दृष्टि से जालोर शहर से तीन–चार किलोमीटर दूर ग्राम लेटा मठ पर मिलने हेतु निर्देशित किया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान जालोर से रवाना होकर ग्राम लेटा स्थित मठ के पास पंहुचा, जहां पूर्व हिदायतानुसार श्री रमेशकुमार कानि. 119 मय परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार जैन के उपस्थित मिला, जिसने डिजीटल टेप रिकॉर्डर स्वीच ऑफ सुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया, जिसे ऑन कर रिवर्स कर रिकॉर्डिंग रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप के महत्वपूर्ण अंशो को सुना गया तो श्री रमेशकुमार कानि. द्वारा पूर्व में जरिये मोबाईल बताये गये तथ्यों की ताईद होते हुए रिश्वती राशि मांग की पुष्टि होना पाया गया। हाजिर परिवादी द्वारा पूर्व में श्री रमेशकुमार कानि. द्वारा बताये गये तथ्य दोहराये गये तथा साथ ही परिवादी द्वारा बताया गया पूर्व में भी मेरे से पैसे श्री महिपालसिंह वनरक्षक ने लिये थे एंव आज भी श्री महिपालसिंह को ही पैसे देने हैं, किन्तु यदि लेन–देने के समय उसके साथ रैन्जर या अन्य कोई स्टाफ वाला आयेगा तो वो स्वयं न लेकर उन्हें भी पैसे दिलवा सकता हैं। उपरोक्त हालात से रिश्वती राशि लेन–देन उसी दिन यानि कि दिनांक 19.5.2022 को होना निश्चित होने से अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की जाकर उसी समय श्री अदाराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल किराये की प्राईवेट गाड़ी करके मय स्टाफ, ट्रेप बॉक्स, कागज की पुडिया में फिनोफ्थलीन पाऊडर, लेपटॉप, प्रिन्टर, कागजात दस्ता एंव अन्य आवश्यक सामग्री के पी.एच.ई.डी. सिरोही से दो स्वतन्त्र गवाहान को हमराह लेकर

Scanned By Scanner Go

अविलम्ब जालोर पंहुचने हेतु निर्देशित किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान उक्त के इन्तजार में व्यस्त हुआ एंव कुछ समय पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार जैन एंव श्री रमेशकुमार कानि. 119 को (परिवादी के निजी वाहन सहित) हमराह लेकर ग्राम लेटा के मठ से रवाना होकर जालोर शहर में स्थित मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के एक परिचित के फ्लैट पर पंहुचा, यहां परिचित की हिदायतानुसार गोपनीयता की दृष्टि से उक्त का नाम, पता नहीं खोला जा रहा हैं, यहीं फ्लेट पर मुकीम रहकर प्रकरण की अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। कुछ समय पश्चात निर्देशानुसार श्री अदाराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस मय दो स्वतन्त्र गवाहान व ब्यूरो जाब्ता श्रीमति दीक्षा कानि. 436, श्री सुरेशदान कानि0 470 जरिये किराये की प्राईवेट गाड़ी मय ट्रेप बॉक्स, कागज की पुडिया में फिनोफ्थलीन पाऊडर, लेपटॉप, प्रिन्टर, कागजात दस्ता एंव अन्य आवश्यक सामग्री के उपस्थित आये। जिस पर प्रकरण हाजा में अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की जाकर हाजिर दोनों गवाहान को मन्तव्य से अवगत करवाकर इनका परिचय पूछा तो उन्होनें अपना–अपना परिचय क्रमशः श्री अमृतलाल पुत्र श्री गणेशराम, जाति लखारा, उम्र 25 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी केशव विद्या मंदिर स्कूल के पास अनादरा, हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, पी.एच.ई.डी. खण्ड सिरोही, मो.नं. 9828708672 व श्री नाथूराम पुत्र श्री वालाराम, जाति वागरी, उम्र 39 साल, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम गोयली, तहसील व जिला सिरोही, हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक अभियन्ता, पी.एच.ई.डी. उपखण्ड सिरोही, मो.नं. 9982029078 के रूप में दिया। तत्पश्चात दोनों गवाहान का हाजिर परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार जैन से परस्पर परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनों गवाहान को पढकर सुनाया गया एंव पढाया गया। रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता के मांग–सत्यापन से संबधित महत्वपूर्ण वार्ता के अंश डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर रिवर्स/फोरवर्ड कर दोनों गवाहान को सुनाए गए। दोनों गवाहान ने भी परिवादीगण से विस्तृत पूछताछ कर तसल्ली कर परिवादीगण के प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर करते हुए कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की सहमति प्रदान की। समयाभाव की वजह से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप की फर्द ट्रांसकिप्ट्स बाद में बनाने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र मौतबिरान श्री अमृतलाल कनिष्ठ सहायक व श्री नाथूराम वरिष्ठ सहायक के रूबरू परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार जैन से आरोपी श्री महिपालसिंह वनरक्षक, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, रैन्ज जालोर, जिला जालोर एंव अन्य को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार जैन ने भारतीय मुद्रा के पांच–पांच सौ रुपयों के 20 नोट कुल 10,000 रू अपनी शर्ट की जेब से निकाल कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :–

1.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8	BB	141510
2.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6	EN	985750
3.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5	RG	172703
4.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3	DK	785243
5.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0	AK	393913
6.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3	BG	227512
7.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9	BE	898478
8.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7	SD	138450
9.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6	MP	024748
10.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3	BU	436235
11.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4	PP	765359
12.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9	DG	699416

Scanned By Scanner Go

13.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8	ML	905201
14.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3	LK	847990
15.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8	VM	066658
16.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0	PK	920876
17.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8	HC	634080
18.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2	SE	718165
19.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7	EF	505434
20.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0	DW	589961

कार्यालय से ब्यूरो जाब्ता के साथ मंगवाई गई फिनोफ्थलीन की पुड़िया हमराह जाब्ता के श्री सुरेशदान कानि. नं. 470 को उपलब्ध करवाई जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त राशि 10,000 रू. के सभी नोटों को कैम्प स्थल के रूम में रखी टेबल पर बिछाए गए एक अखबार के ऊपर रखवाकर प्रत्येक नोट पर हल्का–हल्का फिनोफ्थलीन पाऊडर उक्त राशि के प्रत्येक नोट पर श्री सुरेशदान कानि. 470 से लगवाया गया। परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार जैन की जामा तलाशी गवाह श्री अमृतलाल कनिष्ठ सहायक से लिवाई जाकर इसके पास कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थलीन पाऊडरयुक्त नोटों को परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार जैन के पहनी हुई पैण्ट के बांयी साईड की जेब में श्री सुरेशदान कानि. से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को नहीं छुऐ, आरोपी श्री महिपालसिंह वनरक्षक एंव अन्य के मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि अपनी जेब से निकाल कर उसे देवे, इस दौरान आरोपी से हाथ नहीं मिलावे तथा साथ ही परिवादी को यह भी निर्देशित किया गया कि आरोपी श्री महिपालसिंह एंव अन्य द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद वो इस राशि को कहां रखता हैं, या छिपाता हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए अपने सिर पर दो–तीन बार हाथ फेरकर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल/मिसकॉल कर गोपनीय ईशारा करें। तत्पश्चात एक कांच की साफ गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री सुरेशदान कानि. के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग इस तरह से परिवर्तित होकर गुलाबी या हल्का झांईदार गुलाबी हो जायेगा। फिनोफ्थलीन पाऊडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की किया–प्रतिकिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली भांति समझाया गया। फिर श्री सुरेशदान कानि. से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने हेतु उपयोग में लिए गए अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में ली जाने वाली सामग्री वगैरा को भी साफ पानी व साबुन से दो–दो बार धुलवाया गया एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई। मन् ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना मोबाईल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन–देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। इस कार्यवाही की फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि मुर्तिब कर इस पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई।

Scanned By Scanner Go

तत्पश्चात पूर्व हिदायतानुसार परिवादी द्वारा अपने मोबाईल नं. 7014936297 से आरोपी श्री महिपालसिंह वनरक्षक के मोबाईल नं. 9116605896 पर वार्ता की गई तो उसने कहा कि मैं व श्री भास्कर चौधरी फी नहीं हैं, साहब के सामने आपसे बात पक्की हो चुकी हैं, आप जितेन्द्र उर्फ विराट से मिलकर उसे पैसे दे दो, जिस पर परिवादी ने अपने उपरोक्त अंकित मोबाईल नंबर से श्री जितेन्द्रकुमार उर्फ विराट वनरक्षक के मोबाईल नंबर 8005501410 पर कॉल कर इस बाबत् उक्त से बात की तो उसने परिवादी को लेटा रैल्वे फाटक के पास पैसे लेकर आने का कहा, जिस पर उक्तानुसार कार्यवाही प्रारंभ की जाकर मन् ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, हमराह दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री अमृतलाल कनिष्ठ सहायक व श्री नाथूराम वरिष्ठ सहायक, ब्यूरो जाब्ता श्री अदाराम एएसआई, श्री चेलाराम हैड कानि., श्री सोहनराम कानि. नं. 361, श्रीमती दीक्षा म.कानि. 436, श्री रमेशकुमार कानि. 109 मय ट्रेप बॉक्स, कार्यालय का लेपटॉप, प्रिन्टर, अन्य आवश्यक सामग्री के जरिये सरकारी वाहन बोलेरो संख्या आरजे 14 यूए 0819 चालक श्री गणेशलाल नं. 561 व प्राईवेट वाहन तथा परिवादी के निजी वाहन में परिवादी के साथ मय डिजीटल टेप रिकॉर्डर श्री रमेशकुमार कानि. के कैम्प स्थल से रवाना होकर लेटा रैल्वे फाटक जालोर पंहुचा, जहां निर्देशानुसार कानि. श्री रमेशकुमार नं. 119 ने परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार जैन को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर सुपुर्द कर आरोपी श्री जितेन्द्रकुमार उर्फ विराट से सम्पर्क करने हेतु रवाना लेटा रैल्वे फाटक तहसील कार्यालय सिरोह की तरफ किया गया, मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय शेष हमराहियान वहीं आस–पास अपनी–अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में व्यस्त हुए।

कुछ समय पश्चात दोनों मौतबिरान के रूबरू परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार जैन ने जालोर शहर में अवस्थित लेटा रेल्वे फाटक से करीब 100 मीटर दूर लेटा की तरफ जाने वाली जालोर–आहोर–जोधपुर मुख्य सड़क के बांयी तरफ खड़े अपने निजी वाहन के पास आकर पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने सिर पर दो–तीन बार हाथ फेरकर रिश्वत राशि लेन–देन होने की सूचना दी, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त हमराहियान अपने–अपने वाहनों से रवाना होकर परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार जैन के पास पंहुच उनसे पूर्व में दिया गया डिजीटल टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं की अभिरक्षा में रखा, कि इस दोरान परिवादी के वाहन के पास खड़ी स्कूटी की तरफ जाते हुए एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार जैन ने बताया कि यही श्री जितेन्द्रकुमार उर्फ विराट हाल वनरक्षक, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, जालोर हैं जिसने अभी–अभी मेरे से मेरी कोयला से भरी गाड़ी छोड़ने एंव आगे से मेरी कोयले की गाडियों को बिना रोक टोक परिवहन/आवागमन करने देने की ऐवज में प्रति गाड़ी प्रति माह 10,000 मासिक बन्धी (मन्थली) तय करने की ऐवज में मेरे से मांगकर फिनोफ्थलीन पाऊडरयुक्त रिश्वती राशि 10,000 रू. प्राप्त कर अपने पहनी हुई पैण्ट के दांहिने साईड की जेब में रखी हैं, जो अभी भी इसकी जेव में ही हैं। जिस पर उक्त व्यक्ति को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए मन्तव्य से अवगत करवाकर उनका परिचय पूछा तो उसने अपना परिचय श्री जितेन्द्रकुमार उर्फ विराट पुत्र श्री दलपतराम, जाति जीनगर, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम निम्बला, तहसील आहोर, जिला जालोर, हाल हाल वनरक्षक, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, जालोर, मोबाईल नं. 8005501410 के रूप में दिया। जिस पर उक्त श्री जितेन्द्रकुमार उर्फ विराट को परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार जैन को जानने व इससे अभी कुछ देर पहले रिश्वत राशि 10,000 रू. प्राप्त करने के बारे में पूछा गया तो आरोपित वन रक्षक ने बताया कि हां मैं इन्हें जानता हूं, इनके द्वारा पूर्व में मेरे से उधार ली गई राशि 10,000 रू. आज इन्होनें मुझे वापस लौटाये हैं, जो मैंने इनसे प्राप्त कर मेरे पहनी हुई पैण्ट के दांहिने साईड की जेब में रखे हैं। जिस पर हाजिर परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार जैन ने आरोपित वन रक्षक के उक्त कथनों का खण्डन करते हुए बताया कि ये बिल्कूल ही झूंठ बोल रहे हैं, मैंने

Scanned By Scanner Go

इनसे कोई राशि कभी उधार नहीं ली हैं, मेरी फर्म भैरव मशीन टूल्स महावीर कॉम्पलेक्स, शॉप नं. 52 मैन बाजार सुमेरपुर के माध्यम से मैं साल कोयला के कय–विकय हेतु अधिकृत हूं, उक्त फर्म के माध्यम से मैं जालोर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से कोयला कय कर भिवाड़ी–अलवर व जयपुर की तरफ विकय हेतु लोडिंग ट्रकों से भेजता हूं। महिने में लगभग 3–4 गाडी माल यहां से भेजता हूं। दिनांक 17.05.2022 को जालोर के भागली प्याऊ टोल नाके पर मेरी कोयला से भरी हुई एक गाड़ी श्री महिपालसिंह वनरक्षक, श्री भास्कर चौधरी एंव श्री जितेन्द्रकुमार उर्फ विराट चौहान, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, रैन्ज जालोर ने रोककर गाडी चालक से कागजात ले लिये, तथा मेरी गाडी वन विभाग की चौकी के साईड में एक तरफ खडी करवाकर मेरे ड्राईवर के माध्यम से मोबाईल कॉल करवाकर मुझे एक से डेढ घण्टे के अन्दर–अन्दर वन विभाग चौकी जालोर पर बुलाया, जिस पर मैं सुमेरपुर से मेरे स्वयं की निजी गाडी लेकर उसी समय जालोर आया, जहां वन विभाग की चौकी के एक साईड में मेरी गाडी खडी थी, मैंने मेरी उक्त गाडी छोडने का इनसे निवेदन किया तो उक्त तीनों ने मेरी गाड़ी छोडने की ऐवज में पहले मेरे से 2.00 लाख रू. की मांग की, इतने अधिक रूपये देने में मैंने असमर्थता जाहिर की तो इन्होनें लास्ट में 50,000 रू. से कम किसी भी हालत में नहीं लेने की बात की, जिस पर उस समय मेरे पास उपलब्ध 40,000 रू. मैंने श्री भास्कर चौधरी व श्री जितेन्द्र उर्फ विराट के कहने पर श्री महिपालसिंह वन रक्षक को उसी समय दे दिए एंव शेष 10,000 रू. एक–दो दिनों में पंहुचाने का वादा किया, जिस पर मेरे द्वारा दी गई राशि इन तीनों ने बारी–बारी से गिनी व मुझे कहा कि केवल पुलिस की सेटिंग से काम नहीं चलेगा, हमारे एरिया में धन्धा करना हैं तो हमें भी मासिक बन्धी देनी पडेगी, जिस पर मैंने उन्हें कहा एक–दो दिनों में बकाया 10,000 रू. पंहुचाने आऊंगा, तब मन्थली की बात भी तय कर लेगें। मैं श्री महिपालसिंह एंव अन्य को शेष रिश्वती राशि 10,000 रू. एंव मासिक बन्धी आदि नहीं देना चाहता था एंव मैं इन्हें रंगे हाथो पकड़वाना चाहता था, इसलिए दूसरे दिन दिनांक 18.05.2022 को आपके समक्ष कानूनी कार्यवाही हेतु रिपोर्ट पेश कर आज इनसे बकाया राशि व आगे की मन्थली बन्धी के बारे में वार्ता करने आया तो श्री भास्कर चौधरी व श्री महिपालसिंह आज दिन में आहोर चौराहा पर मिले एंव बकाया 10,000 रू. की मांग कर आगे से प्रति माह प्रति गाड़ी 10,000 रू. की मन्थली बन्धी तय की, जिस पर मैंने बकाया 10,000 रू. आज सांय तक देने व इस राशि में अगले माह की 15 तारीख तक चलाने व इससे आगे मेरी प्रति गाड़ी प्रति माह 10,000 रू. की दर से मेरी तीन गाड़ियों की इन्हें मासिक बन्ध देना तय किया था, एंव इस समय बकाया 10,000 रू. के संबध में श्री महिपालसिंह से मोबाईल वार्ता की तो इसने कहा कि हम दोनों फी नहीं हैं, साहब के सामने आपसे बात पक्की हो चुकी हैं, आप जितेन्द्र उर्फ विराट से मिलकर उसे पैसे दे दो, जिस पर मैंने कॉल कर इस जितेन्द्र उर्फ विराट से बात की तो इसने मुझे लेटा रैल्वे फाटक के पास पैसे लेकर आने का कहा, जिस पर अभी कुछ देर पहले मैं यहां आया तो यह स्कूटी पर मेरे पास आया व मेरे से मांगकर 10,000 रू. प्राप्त कर अपने पहनी हुई पैण्ट के दांहिने साईड की जेब रखकर वापस अपनी स्कूटी की तरफ जाने लगा तो मैंने गोपनीय ईशारा किया, जिस पर आप लोग आये व इसे पकड़ लिया। जिस पर आरोपी श्री जितेन्द्र उर्फ विराट वन रक्षक को परिवादी द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों के संदर्भ में रिश्वती राशि प्राप्त करने व इस राशि में ओर किसी का हिस्सा होने के बारे में पुनः पूछा गया तो आरोपी कुछ देर तक निरूत्तर रहा व फिर कहा कि मैंने श्री महिपालसिंह वनरक्षक व श्री भास्कर चौधरी रैन्जर के कहने पर श्री राजेन्द्रकुमार जैन से यह रिश्वती राशि ली हैं, इसमें उन दोनों का भी हिस्सा हैं, पिरसों भी मैं इनके साथ था एंव उनके कहने पर श्री जैन द्वारा दिए गए 40,000 रू. की मैने मेरे हाथों से गिनती की थी, परसों वाली राशि भास्कर चौधरी के पास रखी हुई हैं, बकाया राशि की मुझे जानकारी थी इसलिए उनके कहने पर यहां इनसे राशि प्राप्त करने आ गया, सर मेरी गलती हो गई, मेरी नई–नई नौकरी हैं माफ करो। जिस पर आरोपित वनरक्षक को डाढंस बंधाकर अन्य दोनों आरोपित श्री महिपालसिंह वनरक्षक व श्री भास्कर चौधरी क्षेत्रीय वन अधिकारी के बारे में

Scanned By Scanner Go

पूछताछ की गई तो श्री जितेन्द्रकुमार उर्फ विराट ने बताया कि श्री महिपालसिंह आशापूर्णा कॉलोनी जालोर स्थित अपने घर पर हैं तथा श्री भास्कर चौधरी सूरजप्रोल जालोर स्थित क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय में मौजूद हैं। जिस पर उक्त दोनों आरोपितों की दस्तियाबी हेतु आरोपी श्री जितेन्द्रकुमार उर्फ विराट के दांये व बांये हाथों को कलाईयों के ऊपर से क्रमशः कानि. श्री रमेशकुमार व हैड कानि. श्री चेलाराम से पकड़वाये जाकर यथास्थिति में निजी वाहन में बिठाकर हमराह लेकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान आशापूर्णा कॉलोनी जालोर स्थित आरोपी श्री महिपालसिंह के मकान नं. 187 पर पंहुच रूबरू गवाहान एंव महिला कानि. श्रीमति दीक्षा के हमराह मकान के दरवाजे को नॉक किया तो अन्दर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, तभी सामने के मकान से एक व्यक्ति आया व आरोपी श्री महिपालसिंह के मकान को नॉक करने के बारे में पूछा तो उक्त व्यक्ति को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान का परिचय देकर मकान पर आने के मन्तव्य से अवगत करवाकर उनका परिचय पूछा तो उसने स्वयं का नाम श्री गोविन्दसिंह मण्डलावत होना व आरोपित श्री महिपालसिंह के सामने वाले मकान में स्वयं का निवास होना एंव स्वयं को आरोपी श्री महिपालसिंह मण्डलावत का सगा चाचा होना बताया, जिस पर उक्त श्री गोविन्दसिंह मण्डलावत को आरोपी श्री महिपालसिंह के बारे में पूछा तो उन्होनें बताया कि अभी कुछ देर पहले मकान पर ही मौजूद था, जिस पर उन्हें श्री महिपालसिंह को समझाईश कर मकान का दरवाजा खुलवाकर उन्हें बाहर बुलाने हेतु कहा गया तो श्री गोविन्दसिंह ने एसीबी दल का सहयोग करते हुए श्री महिपालसिंह के मकान के दरवाजे पर दस्तक देकर उन्हें बाहर आने हेतु आवाज लगाकर समझाईश की तो अन्दर से मकान का दरवाजा खोलकर एक व्यक्ति बाहर आया, जिसका परिचय श्री महिपालसिंह वनरक्षक के रूप में उनके चाचा श्री गोविन्दसिंह मण्डलावत द्वारा दिया गया, तत्पश्चात उक्त श्री महिपालसिंह को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान का परिचय देकर मकान पर आने के मन्तव्य से अवगत करवाकर उनका पूर्ण परिचय पूछा गया तो उसने अपना परिचय श्री महिपालसिंह पुत्र श्री शंभूसिंह, जाति राजपूत, उम्र 34 वर्ष, निवासी आशापूर्णा कॉलोनी जालोर, हाल वनरक्षक, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, जालोर, मोबाईल नं. 9116605896 व 9772616457 के रूप में दिया। चूंकि तीसरे आरोपी श्री भास्कर चौधरी की दस्तियाबी शेष थी एंव इस स्थान पर श्री महिपालसिंह से पूछताछ में समय जाया करने की स्थिति में इस कार्यवाही के लीक होकर इसकी भनक आम लोगों, पत्रकारगण एंव आरोपी श्री भास्कर चौधरी को लगने से उसके रूपोश/फरार होने की संभावना के मध्यनजर आरोपी श्री महिपालसिंह को राजकीय वाहन में बिठाकर श्री अदाराम ए.एस.आई. मय जाब्ता के साथ तथा आरोपी श्री जितेन्द्रकुमार उर्फ विराट को यथास्थिति में जरिये प्राईवेट वाहन श्री चेलाराम हैड कानि. मय जाब्ता के साथ मुनासिब हिदायत देकर पुलिस थाना कोतवाली जालोर की तरफ रवाना कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री सोहनराम कानि. व श्रीमति दीक्षा म.कानि. तथा दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री अमृतलाल व श्री नाथूराम के जरिये परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार जैन के निजी वाहन से रवाना होकर सूरजप्रोल जालोर स्थित कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, जालोर पंहुचा, जहां आरोपी श्री भास्कर चौधरी के बारे में मालुमात की गई तो कुछ देर पहले ऑफिस में होना व बाद मार्केट की तरफ जाना ज्ञात हुआ, जिस पर कार्यालय में मौजूद एक कर्मचारी से आरोपी श्री भास्कर चौधरी के मोबाईल नंबर प्राप्त कर कॉल कर उन्हें ऑफिस पर आने का कहा तो उन्होनें स्वयं का मार्केट में होना व कुछ देर बाद ऑफिस में आना बताया, जिस पर उक्त का इन्तजार करने लगे कि कुछ देर बाद जरिये मोटर साईकिल एक व्यक्ति कार्यालय में आया, जिसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान का परिचय देकर मन्तव्य से अवगत करवाकर उनका परिचय पूछा तो उसने अपना परिचय श्री भास्कर चौधरी पुत्र श्री मांगेराम, जाति जाट–चौधरी, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम सांगरोद, तहसील खेड़का, जिला बागपत, उत्तरप्रदेश, हाल क्षेत्रीय वन अधिकारी–II, वन बन्दोबस्त शाखा जालोर, अतिरिक्त चार्ज सहायक वन संरक्षक (ए.सी.एफ.) जालोर, मोबाईल नं. 9509826138 के रूप में दिया, जिस पर उक्त से

Scanned By Scanner Go

परिवादी के संबध में आवश्यक पूछताछ कर दिनांक 17.05.2022 को परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार जैन की गाड़ी छोड़ने की ऐवज में श्री महिपालसिंह व श्री जितेन्द्रकुमार उर्फ विराट, वनरक्षकगण के साथ मिलकर 40,000 रू. प्राप्त करने एंव बकाया 10,000 रू. व आगे से प्रति गाड़ी प्रति माह 10,000 रू. मासिक बन्धी की मांग कर बकाया राशि हेतु श्री जितेन्द्रकुमार उर्फ श्री विराट वनरक्षक को आज परिवादी के पास भेजकर रिश्वती राशि प्राप्त करने के संबध में पूछताछ की गई तो आरोपी श्री भास्कर चौधरी घबरा गया एंव नजरें नीचे करते हुए कहा कि साहब गलती हो गई हैं, पिरसों परिवादी श्री जैन से प्राप्त राशि 40,000 रू. मूलचन्द/अखाजी मेडिकल के सामने स्थित मेरे किराये के मकान पर रखी हुई हैं, क्योंकि परिवादी से 10,000 रू. बकाया चल रहे थे, जिससे पूरी राशि नहीं मिलने से अभी तक उक्त राशि का स्टाफ में बंटवाड़ा नहीं किया हैं, जो मैं परिवादी श्री जैन को वापस देने के लिए तैयार हूं। जिस पर आरोपी श्री भास्कर चौधरी को हमराह लेकर उसके किराये के मकान पर पंहुचा, जहां श्री चौधरी ने अपनी जेब से मकान की चाबी निकालकर ताला खोला, जिस पर उसके साथ मय गवाहान के मकान के बेड रूम में प्रवेश हुए तो परिवादी ने किचन के पास स्थित दूसरे बेडरूम की तरफ हाथ से ईशारा कर बताया कि इस रूम में रखी अलमारी में परिवादी से प्राप्त राशि रखी हुई हैं, उक्त राशि के बारे में हाजिर परिवादी से पूछा गया तो उसने बताया कि पिरसों मैंने 500–500 रू. के 80 नोट, कुल 40,000 रू. इन्हें दिए थे, जिस पर आरोपी श्री भास्कर चौधरी को उक्त राशि पेश करने का कहा जाने पर श्री चौधरी ने बेडरूम नं. 02 की अलमारी का लॉक खोलकर उसके एक देराज में रखे पर्स में से पांच सौ–पांच सौ रू. के नोटों की एक गड्डी निकालकर रूबरू गवाहान पेश की, जिसकी निर्देशानुसार हमराह गवाह श्री नाथूराम वरिष्ठ लिपिक द्वारा गिनती की गई तो 500–500 रू. के 80 नोट, कुल राशि 40,000 रू. होना पाया गया, उक्त राशि प्रकरण में वांछित होने स्वतन्त्र गवाहान श्री नाथूराम वरिष्ठ सहायक के पास सुरक्षित रखवाई गई। जिस पर आरोपी श्री भास्कर चौधरी ने रूबरू गवाहान गिड़गिड़ाते हुए कहा कि सर मैंने परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार जैन से उनकी गाड़ी छोड़ने की ऐवज में पूर्व में प्राप्त राशि वापस कर दी हैं, इसलिए मुझे माफ करावें, भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा, जिस पर आरोपी श्री चौधरी को दिलासा देकर ढाढंस बंधाते हुए रूबरू गवाहान एंव आरोपी स्वयं के उसके मकान की खाना तलाशी ली गई तो सिवाय इस्तेमाली सामग्री एंव वस्तुओं के अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु, दस्तावेजात एंव अन्य राशि आदि कुछ भी नहीं मिला, मकान में रखे समस्त अहकामात को यथास्थिति में रखवाकर मकान से बाहर आकर आरोपी श्री चौधरी से ही उसके किराये के मकान को तालाबन्द करवाकर चाबी उनके पास रखवाकर उन्हें हमराह लेकर रवाना होकर पुलिस थाना कोतवाली जालोर पंहुचा, थाने में श्री अदाराम एएसआई व श्री चेलाराम हैड कांने. मय जाब्ता दस्तियाब सुदा आरोपी श्री जितेन्द्रकुमार उर्फ विराट व श्री महिपालसिंह के उपस्थित मिले, थानाधिकारी श्री अरविन्द पुरोहित सी.आई. से जरिये मोबाईल अग्रिम कार्यवाही की अनुमति प्राप्त कर थानाधिकारी के कार्यालय कक्ष में बैठकर तीनों दस्तियाब सुदा आरोपितों को एक बार पुनः मन्तव्य से अवगत करवाकर परिवादी के संबध में व उनसे रिश्वती राशि की मांग व प्राप्ति तथा मासिक बन्धी तय करने बाबत् अलग–अलग एंव संयुक्त रूप से आवश्यक पूछताछ की गई तो तीनों ही आरोपितों ने अपनी–अपनी गलती स्वीकारते हुए माफ करने एंव भविष्य में ऐसी गलती नहीं करना बताया। जिस पर तीनों आरोपितों को ढाढंस बंधाकर अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ करते हुए स्वतन्त्र गवाह श्री अमृतलाल कनिष्ट सहायक से आरोपी श्री जितेन्द्रकुमार उर्फ विराट वनरक्षक की जामा तलाशी लिरवाई गई तो उनके पहनी हुई पैण्ट बरंग काला के दांहिने साईड की जेब में भारतीय मुद्रा के 500–500 रू0 के नोट रखे पाये गये, उक्त राशि को गवाह श्री अमृतलाल से ही गिनवाया गया तो भारतीय मुद्रा के 500–500 रू0 के 20 नोट, कुल राशि 10,000 रू0 होने पाये गये। दूसरे स्वतन्त्र गवाह श्री नाथूराम वरिष्ठ सहायक को पूर्व में मुर्तिब सुदा फर्द पेशकशी की प्रति देकर इन नोटों के नंबरो का मिलान करवाया गया तो सभी 20 नोटों के नंबर हुबहु फर्द पेशकशी के मुताबिक पाये जाने से उक्त बरामदा रिश्वती राशि गवाह

Scanned By Scanner Go

श्री अमृतलाल कनिष्ठ सहायक के पास सुरक्षित रखवाई गई। तत्पश्चात आरोपी श्री जितेन्द्रकुमार उर्फ विराट वनरक्षक के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए पुलिस थाने के वॉटर कूलर से एक साफ बोतल में साफ पीने का पानी मंगवाकर इसे दो साफ गिलासों में भरकर इसमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में श्री जितेन्द्रकुमार उर्फ विराट वनरक्षक के दांहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर. एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित किया गया। इसी प्रकार तैयार घोल के दूसरे गिलास में आरोपी श्री जितेन्द्रकुमार उर्फ विराट वनरक्षक के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर झांईदार गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीनों ने झांईनुमा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को भी पूर्ववत् कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भर कर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल.एच.–1 व एल.एच–2 अंकित किया गया। आरोपी के पहनी हुई पैण्ट के दांहिने साईड की जेब, जहां से रिश्वती राशि बरामद हुई थी, का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी के पहनने हेतु पुलिस थाना से एक लोअर की व्यवस्था कर उसे पहनने हेतु देकर उसके पहनी हुई पैण्ट को उतरवाकर चैक किया गया तो उक्त पैण्ट बरंग काला (Black) जिसके पीछे अन्दर की तरफ अंग्रेजी में "SPECIALY ORDERED" अंकित सुदा चस्पा लगा हुआ पाया गया। इस पैण्ट के दांहिने साईड की जेब के धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए पूर्वानुसार कांच की एक साफ गिलास में साफ पीने का पानी भरवाकर इस पानी में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में आरोपी के पैण्ट की दांहिने साईड की जेब को उलटवाकर तीन–चार बार डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क पी.–1 व पी.–2 अंकित किया गया। बाद इस पैण्ट की जेब को कुछ देर तक हवा में सुखाकर जेब के अन्दर की तरफ चूंकि पैण्ट जेब गहरे नीले रंग की होने से कलमी हस्ताक्षर दृष्टिगत नहीं हो रहे थे, इसलिए आरोपी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान एंव अन्य संबधितगण के अलग से एक सफेद कागज पर हस्ताक्षर करवाकर उक्त हस्ताक्षरित कागज आरोपी के उक्त पैण्ट की जेब में डालकर स्टेपलर से पिन कर पैण्ट को एक सफेद कपड़े की थेली में शील्ड मौहर कर थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाए जाकर इस पर मार्क पी. अंकित कर कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात स्वतन्त्र गवाह श्री अमृतलाल कनिष्ट सहायक जिन्हें पूर्व में बरामदा रिश्वती राशि सुरक्षार्थ सुपुर्द की गई थी, से प्राप्त कर एक बार पुनः गिनती करवाई गई तो 500–500 रू0 के 20 नोट कुल 10,000 रू. होने पाये गये। दूसरे स्वतन्त्र गवाह श्री नाथूराम वरिष्ठ सहायक को पूर्व में मुर्तिब सुदा फर्द पेशकशी की प्रति देकर उक्त नोटों के नम्बरों का पुनः मिलान फर्द पेशकशी में अंकित नंबरो से करवाया गया तो सभी नोटों के नंबर हुबहू फर्द पेशकशी के मुताबिक पाये गये। उक्त राशि को एक सफेद कपड़े की थेली में शील्ड मौहर कर थेली पर कार्यवाही व नोटों संबधी विवरण अंकित कर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। इसी प्रकार आरोपी श्री भास्कर चौधरी क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा अपने किराये के मकान पर पेश की गई राशि 40,000 रू. जो सुरक्षार्थ स्वतन्त्र गवाह श्री नाथूराम वरिष्ठ सहायक के पास पूर्व में रखवाये गये थे, जो दिनांक 17.05.2022 को तीनों आरोपितों द्वारा परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार जैन से उसकी गाड़ी छोड़ने की ऐवज में बेतोर रिश्वत प्राप्त किये गये थे, जो प्रकरण में वांछित होने से

Scanned By Scanner Go

गवाह श्री नाथूराम वरिष्ठ सहायक से प्राप्त कर एक बार पुनः दूसरे स्वतन्त्र गवाहान श्री अमृतलाल कनिष्ठ सहायक से गिनवाये गये तो 500–500 रू. के 80 नोट, कुल 40,000 रू. होने पाये गये, जो प्रकरण में वांछित होने से वास्ते वजह सबूत जब्त किये गये। आरोपी के विभागीय अधिकारी श्री यादवेन्द्रसिंह चूण्डावत डी.एफ.ओ. जालोर को उनके मोबाईल नंबर 9442829096 पर आरोपीगणों के विरूद्ध की गई ट्रेप कार्यवाही से संबधित सूचना दी गई। आरोपीगण सर्व श्री भास्कर चौधरी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 17.05.2010, महिपालसिंह वनरक्षक की प्रथम नियुक्ति दिनांक 18.04.2013 व जितेन्द्रकुमार उर्फ विराट की प्रथम नियुक्ति दिनांक 02.05.2016 को होना पूछताछ से पाया गया। इस ट्रेप कार्यवाही से सम्बंधित हालात ब्यूरो के उच्च अफसरान को निवेदन किए गए। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द रिश्वत राशि बरामदगी एंव हाथ धोवन कार्यवाही आरोपी श्री जितेन्द्रकुमार उर्फ विराट वनरक्षक मुर्तिब कर इस पर संवधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये।

तत्पश्चात रूबरू मौतबिरान परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार जैन की निशांदेही में बरामदगी/घटनास्थल का मौका निरीक्षण कर फर्द नक्शा नजरी व हालात मौका मुर्तिब कर संबधितान के हस्ताक्षर करवाए गए। परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार जैन की आरोपी आरोपी श्री महिपालसिंह वन रक्षक व श्री भास्कर चौधरी क्षेत्रीय वन अधिकारी के साथ दिनांक 19.078.2022 को रूबरू हुई रिश्वती मांग–सत्यापन वार्तालाप, दिनांक 19.05.2022 को परिवादी श्री जैन व आरोपी श्री महिपालसिंह वनरक्षक के मध्य हुई रिश्वती राशि लेन–देन पूर्व मोबाईल वार्तालाप एंव दिनांक 19.05.2022 को परिवादी श्री जैन व आरोपी श्री जितेन्द्रकुमार उर्फ विराट वनरक्षक के मध्य रूबरू हुई वक्त लेन–देन वार्तालाप, इत्यादि तीनों वार्ताएं जो परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार जैन के माध्यम से कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकॉर्ड करवाई गई थी, को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार जैन के बारी–बारी से सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्किप्ट्स कमशः रिश्वती राशि मांग–सत्यापन वार्तालाप, रिश्वती राशि लेन–देन पूर्व मोबाईल वार्तालाप एंव रिश्वती राशि लेन–देन वार्तालाप पृथक–पृथक मुर्तिब कर इन पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से तीनों वार्तालापों की दो–दो सी.डी. तैयार कर इनमें से प्रत्येक वार्ता की एक–एक सीडी को मूल मानते हुये इन्हें अलग–अलग दो कपड़े की थेलियों में डालकर सील मोहर कर मांग सत्यापन वार्तालाप की सीडी के सील्डयुक्त पैकेट पर मार्क–D, रिश्वती राशि लेन–पूर्व मोबाईल वार्ता की सीडी के सील्डयुक्त पैकेट पर मार्क–LP व लेन–देन वार्तालाप की सीडी के सील्डयुक्त पैकेट पर मार्क–L अंकित कर तीनों थेलियों पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एंव प्रत्येक वार्ता की एक–एक सी.डी. को डब मानते हुये खुली हालत में रखी गई। उक्त रिकॉर्डिंग वार्तालापों में आरोपीगण श्री भास्कर चौधरी क्षेत्रीय वन अधिकारी, श्री महिपालसिंह वनरक्षक व श्री जितेन्द्रकुमार उर्फ विराट वनरक्षक व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार जैन द्वारा की गई। उपरोक्त कार्यवाही हर तीनों आरोपितों द्वारा अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120–बी भा.दं.सं. का अपराध कारित किया जाना पाया जाने से इन्हें इनके द्वारा किए गए उक्त जुर्म से आगाह कर हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना आरोपीगण के कहेनुसार इनके वारिशान/दोस्त को दी गई। हर तीनों अभियुक्तों की फर्द गिरफ्तारी पृथक–पृथक मुर्तिब कर इन पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रकरण हाजा के आरोपित श्री महिपालसिंह एंव श्री जितेन्द्रकुमार उर्फ विराट का अपने माता–पिता व भाईयों के साथ संयुक्त परिवार में निवास करने एंव इनके विरूद्ध की गई कार्यवाही की परिजनों को भनक लगने से इनके घर पर सम्पति संबधी पुख्ता साक्ष्य मिलने की संभावना नहीं होने से इनके निवास की खाना तलाशी नहीं लिये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार को बमुकाम पी.एस. कोतवाली जालोर से फॉरिक कर अपने गन्तव्य हेतु रूखसत दी गई। प्रकरण हाजा में कार्यवाही के दौरान जब्त रिश्वती राशि 10,000 रू0 शील्ड सुदा, आरोपी श्री भास्कर चौधरी से जब्त सुदा

Scanned By Scanner Go

40,000 रू. खुली हालत में, धोवन की शीशियां मार्क आर.एच.–1, आर.एच.–2, एल.एच.–1, एल. एच.–2, पी.–1, पी.–2, सील्डयुक्त पैण्ट पेकेट मार्क–पी., रिश्वती राशि मांग–सत्यापन, रिश्वती राशि लेन–देन पूर्व मोबाईल वार्ता एंव रिश्वती राशि लेन–देन की मूल सीडी पैकेट्स क्रमशः मार्क– D, LP व L व इनकी डब सीडियां तथा इत्यादि मालखाना आईटम्स हमराह प्रभारी मालखाना श्री अदाराम ए.एस.आई. को संभलवाये जाकर जमा ट्रेप बॉक्स करवाये गये। दिनांक 20.07.2022 को हर तीनों अभियुक्तगणों का राजकीय अस्पताल जालोर से स्वास्थ्य व कोविड–19 परीक्षण करवाकर परीक्षण रिपोर्ट्स शामिल मिशल की गई। तीनों अभियुक्तों की कोविड रिपोर्ट "नकारात्मक" प्राप्त हुई।

उपरोक्त हालात से आरोपीगण सर्व श्री भास्कर चौधरी रैन्जर, महिपालसिंह वनरक्षक व जितेन्द्रकुमार उर्फ विराट वनरक्षक द्वारा लोक सेवक होते हुये अपने–अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार जैन हाल प्रोपराईटर की दिनांक 17.05. 2022 को जालोर के भागली प्याऊ टोल नाके पर कोयला से भरी हुई एक गाड़ी उक्त आरोपीगणों ने रोककर गाडी चालक से कागजात लेकर गाडी वन विभाग की चौकी के साईड में एक तरफ खडी करवाकर उक्त गाड़ी के ड्राईवर के माध्यम से मोबाईल कॉल करवाकर परिवादी श्री राजेन्द्रकुमार जैन को उसी समय एक से डेढ घण्टे के अन्दर–अन्दर वन विभाग चौकी जालोर पर बुलाकर परिवादी की उक्त गाडी छोड़ने की ऐवज में उक्त तीनों ने परिवादी से पहले 2.00 लाख रू. रिश्वत की मांग की, इतने अधिक रूपये देने से परिवादी द्वारा असमर्थता जाहिर करने पर आरोपीगणों द्वारा 50,000 रू. से कम किसी भी हालत में नहीं होने की बात तय कर उस समय परिवादी के पास उपलब्ध 40,000 रू. श्री भास्कर चौधरी व श्री जितेन्द्र उर्फ विराट के कहने पर श्री महिपालसिंह वन रक्षक को उसी समय दे दिए एंव शेष 10,000 रू. एक–दो दिनों पंहुचाने का वादा परिवादी द्वारा किया गया, जिस पर परिवादी द्वारा दी गई राशि इन तीनों ने बारी–बारी से गिनकर परिवादी से कहा कि केवल पुलिस की सेटिंग से काम नहीं चलेगा, हमारे एरिया में धन्धा करना हैं तो हमें भी मासिक बन्धी देनी पडेगी, जिस पर परिवादी एक–दो दिनों में बकाया 10,000 रू. पंहुचाने व उस वक्त मन्थली की बात भी तय कर का कहा गया, तत्पश्चात वक्त सत्यापन दिनांक 19.05.2022 को श्री भास्कर चौधरी व श्री महिपालसिंह आहोर चौराहा पर परिवादी से मिले एंव बकाया 10,000 रू. की मांग कर आगे से प्रति माह प्रति गाड़ी 10,000 रू. की मन्थली बन्धी की मांग परिवादी से की गई, जिस पर परिवादी द्वारा बकाया 10,000 रू. उसी दिन सांय तक देने व इस राशि में अगले माह की 15 तारीख तक चलाने व इससे आगे प्रति गाड़ी प्रति माह 10,000 रू. की दर से परिवादी की तीन गाड़ियों की मासिक बन्धी देना तय की गई, एंव दिनांक 17.05.2022 की बकाया 10,000 रू. के संबध में परिवादी द्वारा आरोपी श्री महिपालसिंह से मोबाईल वार्ता करने पर आरोपी स्वयं आरोपी श्री भास्कर चौधरी रैन्जर के फ्री नहीं होने व रैन्जर साहब के सामने परिवादी से बात पक्की होने का हवाला देकर अपने साथी स्टाफ आरोपी श्री जितेन्द्र उर्फ विराट से मिलकर उसे पैसे देने का कहा जाने पर परिवादी द्वारा कॉल कर इस संबध में जितेन्द्र उर्फ विराट से बात की तो उसने परिवादी को लेटा रैल्वे फाटक के पास पैसे लेकर आने का कहा, जिस पर परिवादी फिनोफ्थलीन पाऊडरयुक्त रिश्वती राशि सहित लेटा रैल्वे फाटक पर पंहुचा, जहां पर स्कूटी लेकर आरोपी श्री जितेन्द्रकुमार उर्फ विराट वनरक्षक परिवादी के पास आया व परिवादी से मांगकर 10,000 रू. रिश्वती राशि प्राप्त कर अपने पहनी हुई पैण्ट के दांहिने साईड की जेब रखकर वापस रवाना होते परिवादी के गोपनीय ईशारे पर रूबरू मौतबिरान इसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, एंव तत्पश्चात वक्त कार्यवाही अन्य दोनों आरोपित श्री भास्कर चौधरी क्षेत्रीय वन अधिकारी व श्री महिपालसिंह वनरक्षक को भी दस्तियाब कर बाद पूछताछ इनके विरूद्ध भी प्रथम दृष्टिया अपराध प्रमाणित पाया जाने उक्त दोनों को गिरफ्तार किया गया। वगैरहा कृत्य से हर तीनों आरोपितों के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120–बी भा.दं.सं. का जुर्म घटित होना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया हैं।

Scanned By Scanner Go

लिहाजा आज के रोज हर तीनों अभियुक्तों को माननीय विशिष्ठ न्यायालय, भ्र.नि.अ. पाली के समक्ष पेश कर माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना की जायेगी।

अतः **आरोपीगण श्री भास्कर चौधरी** पुत्र श्री मांगेराम, जाति जाट–चौधरी, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम सांगरोद, तहसील खेड़का, जिला बागपत, उत्तरप्रदेश, हाल क्षेत्रीय वन अधिकारी–II, वन बन्दोबस्त शाखा जालोर, अतिरिक्त चार्ज सहायक वन संरक्षक (ए.सी.एफ.) जालोर, **श्री महिपालसिंह** पुत्र श्री शंभूसिंह, जाति राजपूत, उम्र 34 वर्ष, निवासी आशापूर्णा कॉलोनी जालोर, हाल वनरक्षक, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, जालोर व **श्री जितेन्द्रकुमार उर्फ विराट** पुत्र श्री दलपतराम, जाति जीनगर, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम निम्बला, तहसील आहोर, जिला जालोर, हाल हाल वनरक्षक, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, जालोर के विरूद्ध अन्तर्गत जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120–बी भा.दं.सं. में विना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर कमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावें।

भवदीय

(ओमप्रकाश चौधरी)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
सिरोही,

Scanned By Scanner Go

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ओमप्रकाश चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्तगण 1. श्री भास्कर चौधरी, क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय, वन बन्दोबस्त शाखा, जिला जालोर, अतिरिक्त चार्ज सहायक वन संरक्षक, जालोर, 2. श्री महिपालसिंह, वन रक्षक, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, जालोर एवं 3. श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ विराट, वनरक्षक, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, जालोर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 195/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

20.5.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

क्रमांक 1721-26 दिनांक 20.05.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर।
4. उप वन संरक्षक, जिला जालोर।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही।

20.5.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर